अधिकारियों के दायित्व एवं कर्तव्य

जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी-राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की पावती सम्यक रूप से अभिस्वीकार करेगा और उसके विवरण को उक्त प्रयोजन के लिये प्रारूप-3 में दिये गये रूपविधान में रखी गयी आवेदन पंजी में प्रविष्ट करेगा।

अधिनियम के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के अनुरोध के साथ नियम-5 में विहित शुल्क संलग्न किया जायेगा।

यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी यह पाता है कि सूचना के प्रकटन के लिये किया गया अनुरोध अंशतः या पूर्णतः किसी एक अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तो ऐसा राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के दिनांक से पांच दिनों के भीतर,अनुरोध को या उसके ऐसे भाग को जो उपयुक्त होप्रारूप-4 पर दिये गये रूप विधान में, अन्य लोक प्राधिकरण को अन्तरित कर देगातथा नियत अवधि के भीतर वांछित सूचना का वह भाग जो उसके अपने लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है, आवेदक को उपलब्ध करा देगा।

परन्तु यदि किसी लोक प्राधिकरण से मांगी गयी सूचनाअंशतः या पूर्णतः दो या दो से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों द्वारा धारित हैतो राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिये किये गये अनुरोध को ऐसे अन्य लोक प्राधिकरणों को अन्तरित नहीं किया जायेगा। राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना का केवल वह भाग उपलब्ध करायेगा जो उसके अपने लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हैतथा आवेदक को परामर्श देगा कि वह अन्य सम्बन्धित लोक प्राधिकरणोंजहां वांछित सूचना के अन्य भाग धारित है, के राज्य लोक सूचना अधिकारियों के समझ अलग-अलग सूचना के अनुरोध प्रस्तुत करें।

सूचना हेतु अनुरोध की प्राप्ति पर राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के उपबन्धों के अनुसार अनुरोध को निस्तारित करेगा।

यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि मांगी गयी सूचना दी जानी है, तो वह आवदेक को सूचना प्रारूप-5 में प्रदान करेगा। सूचना दिये जाने के दिनांक को उपरोक्त उप नियम (3)में उल्लिखित पंजी में प्रविष्ट किया जायेगा।

यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि मांगी गई सूचना किसी ऐसी अग्रतर फीस के भुगतान पर ही प्रदान की जा सकती है जो नियम 7 में यथाविहित सूचना प्रदान करने की लागत का निरूपण करती होतो वह तद्नुसार आवेदक को प्रारूप 6में सूचित करेगा और उसके विवरण को उप नियम 3 में उल्लिखित पंजी में प्रविष्ट करेगा।

यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि सूचना के लिये किये गये अनुरोध को अधिनियम तथा/अथवा नियमावली के किसी प्राविधान के तहत अस्वीकार किया जाता है तो

वह ऐसी अस्वीकृति को प्रारूप 7 में आवेदक को संसूचित करेगा। अस्वीकृति के दिनांक को उपनियम 3 में उल्लिखित पंजी में प्रविष्ट किया जायेगा।

यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह मत हो कि सूचना का कोई भाग नहीं प्रदान किया जा सकता है क्योंकि उसको प्रकट किये जाने से छूट प्रदान की गयी हैतो राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना के केवल ऐसे भाग तक पहुच प्राप्त करा सकता है जिसे प्रकट किये जाने से छूट नहीं प्राप्त हैऔर वह साथ-साथ आवेदक को अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2)के निबन्धनों के अनुसार प्रारूप-8 में नोटिस देगा।

जहा राज्य लोक सूचना अधिकारी का,इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना प्रकट करने का आशय हो जो किसी व्यक्ति से सम्बन्धित है या उसके द्वारा प्रदान की गयी है तो उस पर व्यक्ति द्वारा गोपनीय मानी गयी है,वहां राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार प्रारूप-9 पर दिये गये रूपविधान में ऐसे पर व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा। राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रकटन की बाबत कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के निवेदन,यदि कोई हो,को ध्यान में रखेगा।

<u>प्रथम अपीलीय अधिकारी</u>- ऐसा कोई व्यक्ति,जिसे धारा 7 की उपधारा(1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जोयथास्थितिराज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है,उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगाजो प्रत्येक लोक प्राधिकरण मेंयथास्थितिराज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है।

जहां अपील धारा 11 के अधीनयथास्थिति,किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है वहां सम्बन्धित पर व्यक्ति द्वारा अपीलउस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

उपधारा (1)या उपधारा (2)के अधीन अपील के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि जो उसके दाखिल होने के पैतालिस दिन से अनधिक हो,जैसी भी स्थिति हो,लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों सेनिस्तारण किया जायेगा।